IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महात्मा ज्योतिबा राव फुले एवं सावित्रीबाई फुले का महिलाओं की शिक्षा के प्रति सामाजिक आर्थिक संघर्ष की भूमिका का अध्ययन

सतीष चन्द्र दिवाकर
सहायक प्राध्यापक
षिक्षा विभाग,
एस0आई0एम0टी0, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विजय सिंह
सहायक प्राध्यापक
षिक्षा विभाग,
एस0आई0एम0टी0, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

सारांश

ऐतिहासिक धर्म ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से स्त्री को मात्र वस्तु समझा गया है। स्त्री को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि भारतीय समाज ने स्त्री को अनेक बन्धनों में बाँधकर रखा था जातिगत विवाह, बाल–विवाह, सती प्रथा, बहु पत्नी विवाह, अशिक्षा इन सब से निकलकर भारतीय स्त्री को अपनी अलग पहचान बनाना आवश्यक हो गया। भारतीय नारी शिक्षा में ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के बाद फुले दम्पत्ति ने देश में महिलाओं के प्रति फैले आडम्बर जटिल कुरीतियों को सशक्त व सार्थक चुनौती दी। महात्मा बुद्ध के बाद यदि किसी ने पीडित व शोषित वर्ग के लोगों को ऊँचा उठाने का साहस किया तो सिर्फ फुले दम्पत्ति ने किया। फुले दम्पत्ति द्वारा एक बार पुनः नारी का खोया सामाजिक सम्मान शिक्षा के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया गया जिसका तत्कालीन समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिस कारण सकारात्मक सोच रखने वाले अधिकांश लोगों ने फुले दम्पत्ति के कदम की सराहना की और इस व्यवस्था में सहयोग दिया। जो तत्कालीन समय में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फुल दम्पत्ति के प्रयासों की प्रासंगिकता को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– कन्याशाला, दम्पत्ति, सूत्रचार, अर्धांगिनी कार्यकर्त्री, कन्या पाठशालाएं, चहुंमुखी।

प्रस्तावना

19 वीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं सामाजिक क्रान्ति व नारी उत्थान के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले ने शोषण मुक्त स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। दलित एवं सभी वर्गों की स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहन करना आवश्यक मानते हुए पाठशालाएं कन्या पाठशालाएं एवं भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला, महिला छात्रावास आदि खुलवाये। मैकाले की शिक्षा नीति (फिल्टर नीति) का विरोध किया और 1882 में हण्टर कमीशन के समक्ष प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन ज्योतिबा फुले जी द्वारा दिया गया, जो अविस्मरणीय प्रयास रहा। शैक्षिक क्षेत्र में ज्योतिबा फुले का योगदान व शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता तथा नारी उद्धारक में रूप में उनके कार्यों का अध्ययन किया गया है तथा नारी शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान महिलाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करती है।

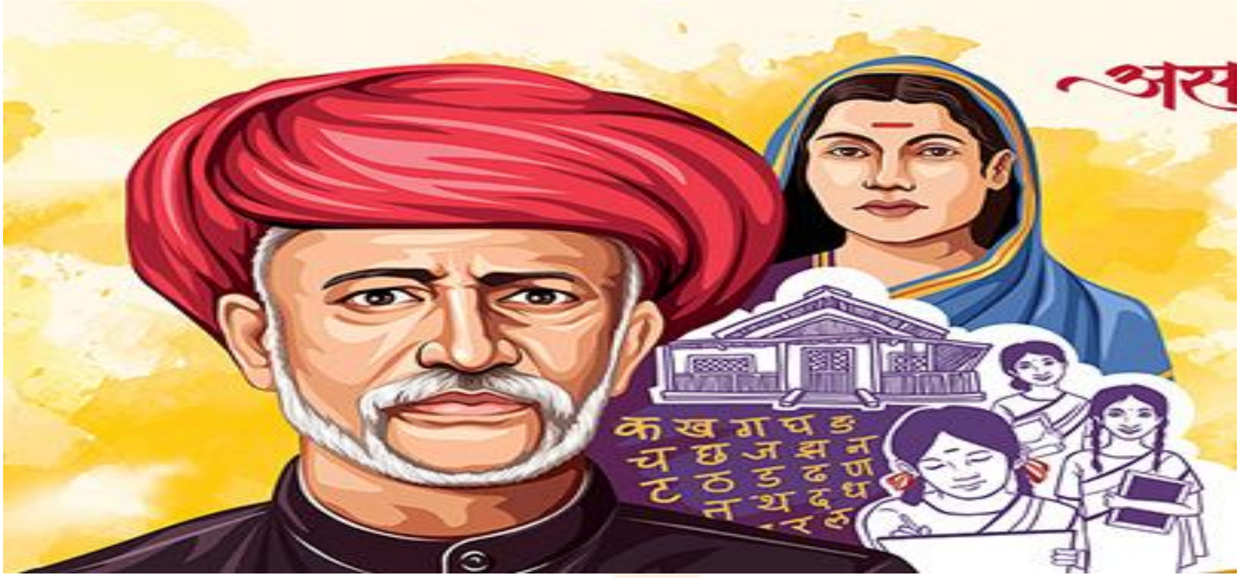

प्रस्तुत शोध लेख के उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य स्त्री शिक्षा में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रिबाई फुले का योगदान सम्बन्धित पहलुओं का ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालना और भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध परिकल्पना–

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी की परिकल्पना है कि फुले दम्पत्ति द्वारा किये गये शैक्षिक कार्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर उनकी प्रासंगिकता दर्शाना जिससे वर्तमान पीढ़ी उनके कार्यों को अपना सके एवं नारी को सम्मान दे सके।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्रोतोंमें लेखकों की पुस्तकों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं एवं इन्टरनेट द्वारा अध्ययन किया गया । 19वीं सदी के सुधार आन्दोलनों व सुधारवादियों को स्त्री की स्थिति को लेकर काफी गहरी सामाजिक स्थिति ठीक न थी। स्त्रियों की भूमिका केवल गृह कार्य तक ही सीमित थी। बच्चों का पालन ही स्त्रीत्व से सम्बद्ध है। प्राचीन काल से वर्तमान तक स्त्रियों की यही भूमिका मान्य रही। वे चाहे सफेदपोश नौकरियों में आज भी उसकी यही कार्यकारी भूमिका गौण है। ज्योतिबा ने शिक्षा के माध्यम से स्त्रिया को

जो अधिकार दिलाये वह स्मरणीय हैं। ज्योतिबा के क्रांतिकारी विचारों ने भारतीय सामाजिक इतिहास को शक्ति तथा गरिमा प्रदान की है। 21वीं सदी की ओर जाते समय देश को उनके विचारों की यह विरासत नये काल की प्रेरणाओं का परिचय देगी। आज जिसे हम शिक्षा कहते है, वह ज्योतिबा के जन्म से पूर्व अस्तित्व नहीं थी, न ही समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार ही प्राप्त था।

शिक्षा नीति को सही दिशा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः ज्योतिबा फुले का अमूल्य योगदान है जो निम्नवत है– विद्यालय एवं स्थानीय भाषा का विकास अगस्त 1848 ई. में ज्योतिबा द्वारा स्थापित किये गये बालिका विद्यालय से सारे समाज के साथ–साथ अंग्रेज सरकार की भी आंखें खुल गयीं। संस्कृत केवल उच्चवर्गीय भाषा होने से एकाधिकार की द्योतक बन गयी। ज्योतिबा फुले ने स्थानीय भाषा में ही शिक्षण की व्यवस्था की पाठ्यक्रम भी मराठी में था। उनकी नजर में उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति हो जो रोजमर्रा की भाषा हो मनुष्य उसी के माध्यम से अच्छी तरह सीख पायेगा। अंधकारमय समाज में ज्योतिया द्वारा ज्ञान के एक दीपक ने अंग्रेजों को भी सुझाव दिए कि भारत में विभिन्न प्रांत है। विभिन्न प्रांतों की अपनी स्थानीय भाषा है अतः उसी स्थानीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। अंग्रेजों द्वारा 1854 ई. की शिक्षा नीति चार्ल्स वूड्ड डिस्पैच में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ज्योतिबा फुले ने विद्यालयों के विकास के लिए जगह–जगह विद्यालय खोले एवं शिक्षा का प्रसार किया और भारतीय समाज को वास्तविकता से अवगत कराने हेतु ज्योतिबा फुले ने स्थानीय भाषा साहित्य का सृजन किया। जिससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने साहित्य को दूसरों से सुनकर या पढकर अपनी वास्तविक स्थिति को जान सके और ऊपर उठ सके। ज्योतिबा फुले द्वारा पूरे महाराष्ट्र में विद्यालयों का विकास कराया गया। उनके द्वारा संचालित 18 विद्यालय का जिक्र बंबई प्रेसीडेंसी के शिक्षा अभिलेखों से मिलता है। उन्होंने प्रौढ शिक्षा, स्त्री–पुरुष के लिए अलग–अलग रात्रि पाठशालाएं खोली।'

प्रौढ़ शिक्षा ज्योतिबा ने 1855 ई. में प्रौढ़ शिक्षा को आरम्भ किया। उन्होंने खेतों में या अन्य जगह काम करने वाले मजदूरों और गृहणियों के लिए रात्रि पाठशालाएं खोली एवं अध्यापन कार्य चलाया। वह भारत की पहली रात्रि पाठशाला व प्रौदशाला थी। उस समय शिक्षा घर–घर पहुंचाने की पहल चल रही थी। ज्योतिबा फुले ने श्रमिकों के लिए रात्रि स्कूल खोलकर उन लोगों का शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित किया था वर्तमान में भारत सरकार साक्षरता अभियान व सर्वशिक्षा अभियान पूरे देश में चला रही है जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने पुणे के आस–पास के गांवों में प्रारम्भ किया था। छात्रावास की व्यवस्था ज्योतिबा फुले ने अनेक स्कूल खोले। इन्होंने स्त्री को पुरुष से भी श्रेष्ठ माना है। उनकी दृष्टि में स्त्री को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो पुरुषों को प्राप्त हैं। यदि पुरुष बहुपत्नि विवाह का अधिकारी है. तो स्त्री भी बहुविवाह की अधिकारिणी होनी चाहिए अन्यथा पुरुषों के ये अधिकार निषिद्ध कर देना चाहिए।' यह 1826 की बात है, उस साल महाराष्ट्र के एक ईसाई मिशनरी समूह ने अपने अमेरिकी बोर्ड से अनुरोध किया कि वे किसी अविवाहित और अकेली अमेरिकी महिला को बॉम्बे भेजें, ताकि वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया जा सके. थोड़ी हिचक और ना–नुकूर के बाद मैसाचुसेट्स के बॉस्टन शहर से सिंथिया फैरार नाम की एक 31 वर्षीय महिला को भारत भेजा गया. 29 दिसंबर, 1827 को वे बॉम्बे पहुंचीं. विरोधों के बावजूद 1829 तक उनके स्कूल में करीब 400 भारतीय लड़कियां पढ़ रही थीं। भारत में अगर लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के इतिहास की बात करें तो 1830 के दौरान भी पुणे के शनिवार–वाड़े में सात–आठ लड़कियों के लिए गुप्त ढंग से एक स्कूल चलाया जाता था. लेकिन ये सभी लड़कियां कथित सवर्ण समुदाय की ही थीं. वहीं 1847 में बंगाल में बारासात (आज का 24 परगना) के दो बंधु नबीनकृष्ण मित्रा और कालीकृष्ण मित्रा ने भारत में लड़कियों के लिए पहला प्राइवेट स्कूल खोला था. कालीकृष्ण मित्रा एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे. उन्होंने एक साहसी व्यक्ति प्यारी चरण सरकार के नेतृत्व में यह स्कूल खोला. शुरू में केवल दो लड़कियां आईं. इनमें से एक स्वयं नबीनकृष्ण मित्रा की बेटी कुन्तीबाला थी. हालांकि बहुत बाद में यह 'कालीकृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल' के रूप में बहुत आगे गया. प्यारी

चरण सरकार को 'आर्नोल्ड ऑफ ईस्ट' कहा गया. यह उपाधि उन्हें महान ब्रिटिश शिक्षाविद् और रग्बी स्कूल के प्राचार्य थॉमस आर्नोल्ड के नाम पर दी गई थी.सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में ऐसे समय पर हुआ, जब भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वर्तमान जैसी नहीं थी। महिलाओं को न तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और न ही वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर सकती थीं। ऐसे समय में स्त्री–शक्ति को बल देने के लिए सावित्रीबाई फुले सामने आईं। नौ वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले का विवाह चौदह वर्ष के ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ।

सावित्रीबाई फुले के कार्य

सावित्री एक ऐसे समाज और मुख्य रूप से परिवार से देश की शिक्षिका बनकर उभरी, जहाँ महिलाओं का दूर–दूर तक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं था। पूरा का पूरा माहौल महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध था। नौ साल की उम्र में सावित्री बाई फुले का विवाह हुआ और जब उनका विवाह हुआ, तब वे अनपढ़ थीं। जिस दौर में सावित्री बाई फुले पढ़ने का सपना देख रही थी, उस दौर में अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीतियां चरम पर थीं। ज्योतिबा जी जैसे सशक्त सामाजिक क्रांति के पुरोधा को जीवन साथी के रूप में मिल जाना उनके लिए नवजीवन के प्रारंभ के समान था। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे महिलाओं की आत्मनिर्भरता से लेकर उनकी सामाजिक अन्याय से मुक्ति के लिए शिक्षा को ही अनिवार्य साधन मानते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को स्वयं शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अन्य स्त्रियों को भी शिक्षित करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा।

सावित्रीबाई ने अपने अथक प्रयासों से विभिन्न जातियों की नौ बालिकाओं को लेकर सन 1848 में बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता से पूना में विद्यालय की स्थापना कर सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके लिए अकेले यह कार्य करना आसान नहीं था। उन्हें समाज के उलाहने झेलने पड़े। लोग विद्यालय जाते समय उन पर अपशब्दों की बौछार करते और गोबर आदि फेंकते थे ताकि वह विद्यालय न जा सके एवं अपना मार्ग छोड़ दे। इस कार्य में सबसे आगे महिलाएं ही हुआ करती थीं। उन्होंने इसका भी इंतज़ाम कर लिया। वे अपने साथ एक जोड़ी साड़ी अतिरिक्त लेकर जाया करती थीं। इतने कष्टों को झेलने के बाद भी वे अपने मार्ग से नहीं हटीं, अपितु विभिन्न स्थानों पर कई और विद्यालय स्थापित किए और स्त्रियों को शिक्षित तथा जागरूक किया।

शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, अपितु भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सन 1852 में 'महिला मण्डल' का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ बन गई। इस महिला मण्डल ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों, बाल विवाह, विधवाओं के सिर मूंडने की प्रथा तथा स्त्री अशिक्षा के खिलाफ़ मोर्चाबंदी की। अपने द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों में उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने गोद लिए हुए पुत्र को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया और बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह करवाया। महाराष्ट्र का

यह प्रथम अंतरजातीय विवाह था। वे जीवन–पर्यंत अंतरजातीय विवाह आयोजित कर जाति व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहीं। उन्होंने लगभग 48 वर्षों तक दलित, शोषित, पीड़ित स्त्रियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।उस समय हमारे समाज में लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था और कई बार वे महज 12–13 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती थीं। इसके बाद उनका केशवपन कर उन्हें कुरूप बनाया जाता था ताकि उनकी तरफ़ कोई पुरुष आकर्षित न हो सके। उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे और भी न जाने क्या–क्या यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती थीं, लेकिन ऐसी विधवा लड़कियां या महिलाएं भ्रष्ट सोच के लिए आसान शिकार बन जाती थीं। ऐसे में गर्भवती हुई विधवाओं का समाज बहिष्कार कर देता था और उन पर जुल्म किए जाते थे। इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चे का भी कोई भविष्य नहीं होता था। इस अमानवीयता से महिलाओं को बाहर निकालने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवतियों के लिए प्रसूतिगृह शुरू किया, जिसका नाम था– 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह; जो उन गर्भवती महिलाओं के लिए उनका घर भी था।

सावित्रीबाई ने अपने अथक प्रयासों से विभिन्न जातियों की नौ बालिकाओं को लेकर सन 1848 में बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता से पूना में विद्यालय की स्थापना कर सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके लिए अकेले यह कार्य करना आसान नहीं था। उन्हें समाज के उलाहने झेलने पड़े। लोग विद्यालय जाते समय उन पर अपशब्दों की बौछार करते और गोबर आदि फेंकते थे ताकि वह विद्यालय न जा सके एवं अपना मार्ग छोड़ दे। इस कार्य में सबसे आगे महिलाएं ही हुआ करती थीं। उन्होंने इसका भी इंतज़ाम कर लिया। वे अपने साथ एक जोड़ी साड़ी अतिरिक्त लेकर जाया करती थीं। इतने कष्टों को झेलने के बाद भी वे अपने मार्ग से नहीं हटीं, अपितु विभिन्न स्थानों पर कई और विद्यालय स्थापित किए और स्त्रियों को शिक्षित तथा जागरूक किया।

शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, अपितु भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सन 1852 में 'महिला मण्डल' का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ बन गई। इस महिला मण्डल ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों, बाल विवाह, विधवाओं के सिर मूंडने की प्रथा तथा स्त्री अशिक्षा के खिलाफ़ मोर्चाबंदी की। अपने द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों में उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने गोद लिए हुए पुत्र को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया और बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह करवाया। महाराष्ट्र का यह प्रथम अंतरजातीय विवाह था। वे जीवन–पर्यंत अंतरजातीय विवाह आयोजित कर जाति व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहीं। उन्होंने लगभग 48 वर्षों तक दलित, शोषित, पीड़ित स्त्रियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई ने इस घर को पूरी कुशलता और धैर्य के साथ चलाया। वहाँ के बच्चों को शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य दिया। विधवा केशवपन का विरोध करते हुए सावित्रीबाई ने नाइयों की हड़ताल कराई और उन्हें विधवा केशवपन न करने के लिए प्रेरित किया। आज भी गर्भवती विधवाओं के लिए ऐसे किसी मानवता की महानता मानव होने में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है।

ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक

महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब लिखी जिनमें गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, सीक्रेट राइटिंग्स ऑफ ज्योतिराव फुले और Slavery प्रमुख है

ज्योतिबा फुले के सामाजिक और शिक्षा पर विचार– ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम बिना ब्राह्मण विवाह शुरू करवाया और बाद में उसे हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली।साल 1840 में ज्योतिबा फुले का वह सावित्रीबाई फुले से हुआ वह खुद एक समाज सुधारक थी जिन्होंने भारत का पहला महिला स्कूल खोला और पहली महिला शिक्षक बनी।पिछड़े लोगो के लिए काम करते हुए उन्होंने ही उनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलित लोगों को न्याय दिलाना और उन को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उत्पीड़न रोकना था। राजा राममोहन राय जीवनी, निबंध, सामाजिक सुधार, राजनीतिक और आर्थिक विचारज्योतिबा फुले को दलितों के लिए काम करने की प्रेरणा उनके एक ब्रह्मण दोस्त की शादी से मिली साल 1948 में ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए वहां पर उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार सबसे निचले वर्ण शुद्र में होने के कारण बहुत बेजत किया गया जिसके बाद उन्होंने दलितों के लिए काम करने की ठानी और इस सामाजिक बुराई और भेदभाव को दूर करने का निर्णय लिया।

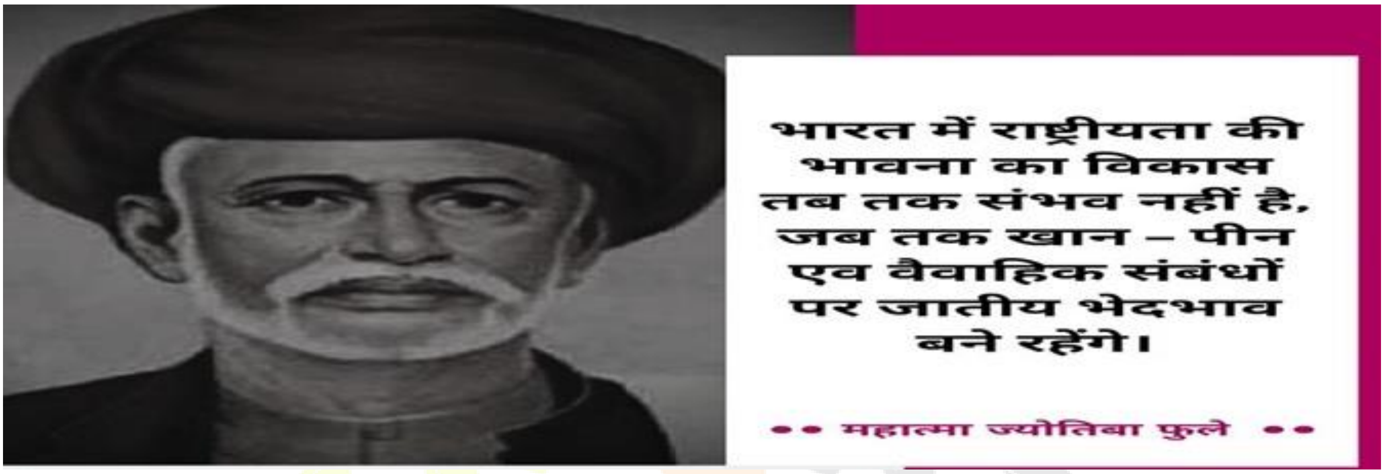

महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में रोचक तथ्य

ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के अलावा विधवा विवाह और विधवाओं के लिए आश्रम के साथ नवजात शिशुओं के लिए आश्रम और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक के लिए भी प्रयास किया। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। उसी प्रकार पूजा–पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। ई"वर एक है और वही सबका कर्ता–धर्ता है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के पति और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के गुरु ज्योतिबा फुले ने अपना सम्पूर्ण जीवन स्त्री शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। ज्योतिराव जब मात्र 1 वर्ष के थे तब इनकी माताजी का निधन हो गया।

फुले नाम कैसे मिला :– जब इनकी माताजी का निधन हुआ तो बाद मे इनका पालन पोषण एक सगुनाबाई नामक महिला ने किया जिनका परिवार सतारा से जाकर पुणे में फूल बेचने का काम करता था जहां माली परिवार का उपनाम फुले होता है। शिक्षा (Education) :– ज्योतिबा फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मराठी से की लेकिन बाद में उन्होंने सातवी कक्षा अंग्रेजी से 21 वर्ष की आयु में की। स्त्री शिक्षण के आद्यजनक :– स्त्री शिक्षण के आद्यजनक ज्योतिबा फुले को कहा जाता है यह उपाधि इन्हे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 में स्त्री शिक्षा पर विशेष योगदान को देखते हुए दी गई।ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि :– ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि 1888 में मुंबई में सत्य शोधक समाज की एक विशाल सभा ने दी।जोतिबा और सावित्रीबाई को मिस फैरार के बालिका विद्यालय से बहुत प्रेरणा मिली. जोतिबा एक जगह स्वयं लिखते हैं – 'अहमदनगर के अमेरिकन मिशन में मिस फैरार ने जो स्कूल चलाया, उसे मैंने अपने मित्रों के साथ देखा. जिस ढंग से उन लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, वह पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी.' (स्रोत– भारतीय समाज–क्रान्ति के जनक

महात्मा जोतिबा फुले, पृष्ठ–25, लेखक– डॉ. मु. ब. शहा, राधाकृष्ण प्रकाशन, 2013) सावित्रीबाई को सगुणाबाई नाम की महिला से भी बहुत सहयोग मिला था. सावित्री और सगुणाबाई ने मिसेज मिशेल के नार्मल स्कूल से प्रशिक्षण भी लिया था. अगस्त, 1848 में पूना के बुधवार पेठ में जोतिबा ने अछूत बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया जो पूरे भारत में अपने ढंग का पहला स्कूल था. सावित्रीबाई इसकी पहली शिक्षिका बनीं.उल्लेखनीय है कि एक तरफ जहां जन्मना ब्राह्मण समुदाय के कुछ मूढ़मति लोगों ने जोतिबा का विरोध किया, वहीं उनके सबसे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी भी जन्मना ब्राह्मण समुदाय के ही रहे. इनमें सखाराम यशवंत परांजपे, सदाशिवराव बल्लाल गोवंडे, मोरो विट्ठल बालवेकर, बापुराव मांडे, मानाजी डेनाले और पंडित मोरेश्वर शास्त्री प्रमुख थे. (स्रोत– जोतिबा फुले, लेखक–मायाराम, प्रभात प्रकाशन, और मु. ब. शहा की उपरोक्त पुस्तक, पेज–28) पहली बार जब जोतिबा का स्कूल विरोधों की वजह से बंद हुआ तो जुनागंज पेठ में सदाशिवराव गोवंडे नाम के जन्मना ब्राह्मण ने ही उन्हें स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया कराई।

लहूजी बुबा मांग और राणबा महार वहां कुछ दलित बच्चों को ले आए. उस विद्यालय में शिक्षक के तौर पर विष्णु पंत शत्ते नाम के जन्मना ब्राह्मण ही थे. और जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और बड़ी जगह की जरूरत पड़ी तो उसी गली के एक मुसलमान भाई उस्मान शेख ने जोतिबा को स्कूल के लिए जगह दी. उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भी सावित्रीबाई के साथ शिक्षिका की भूमिका में आ गईं।

विशेष तौर पर केवल लड़कियों के लिए पहला विशाल स्कूल तीन जुलाई, 1857 को बुधवार पेठ में जोतिबा ने खोला. इस स्कूल के लिए जगह देनेवाले अण्णा साहब चिपलूणकर भी जन्मना ब्राह्मण ही थे. (स्रोत– उपरोक्त डॉ. मु. ब. शहा की पुस्तक, पेज–26) सावित्रीबाई जब घर से स्कूल और स्कूल से घर आती–जातीं तो उनपर गोबर और पत्थर फेंके जाते. एक पहरेवाला ब0 स0 कोल्हे नाम का एक गृहस्थ कुछ दिनों तक उनके साथ चलता रहा. सावित्रि बाई के इस महान कार्य को शिक्षा विभाग के जिस सरकारी अधिकारी ने सबसे पहले नोटिस किया और उसकी सराहना कर सबके सामने लाया वह भी एक जन्मना ब्राह्मण दादोबा पांडुरंग तरबंडकर थे. दादोबा विख्यात व्याकरणकार और मराठी स्कूलों के विभागीय सचिव थे. उन्होंने 16 अक्तूबर, 1857 को जोतिबा–सावित्रीबाई के इन स्कूलों का मुआयना किया था। 19 नवंबर, 1852 को पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर कंठी ने एक विशाल समारोह में 200 रुपये का महावस्त्र और श्रीफल देकर जोतिबा का सम्मान किया था. 'बॉम्बे गार्डियन', पूना ऑब्ज़र्वर, ज्ञानप्रकाश और ज्ञानोदय जैसे तत्कालीन समाचार पत्रों ने जोतिबा के इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की. दिलचस्प है कि कुछ मूढ़मति और कट्टर 'सवर्णों' के उकसावे पर जिन दो लोगों ने जोतिबा और सावित्रीबाई फुले को जान से मारने की कोशिश की थी उनके नाम हैं– घोंडीराव नामदेव कुम्हार और रोद्रे. ये बात और है कि इनमें से एक हमेशा के लिए जोतिबा का अंग–रक्षक बन गया और दूसरा जोतिबा के 'सत्यशोधक समाज' का प्रबल समर्थक सिद्ध हुआ. ये सारे प्रसंग आज इसलिए कि जब हम भारतीय समाज को केवल नकारात्मक और संघर्षवादी नज़रिए से देखने लगते हैं तब उसकी सामासिक संस्कृति के मानवीय पहलुओं और प्रसंगों को नज़रअंदाज कर देते हैं. कई बार अनजाने में और कई बार जान–बूझकर भी. सावित्री और जोतिबा को एक–दूसरे के रूप में कितना सुंदर साथी मिला. दोनों ने लगातार और सप्रयास न केवल अपने प्रेमास्पद और सोद्देश्यात्मक दाम्पत्य को सींचा, बल्कि जब जिसका सहयोग मिला उससे लिया. उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को अपनाया, सबसे सीखा. और इसलिए सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें अपनाया, सहयोग दिया. उनका शुरुआती आक्रोश भी धीरे–धीरे पिघलकर एकतामूलक समाज की स्थापना हेतु बह चला।

महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे।उन्होंने ऐसे समय में जब भारतीय समाज बुरी तरह रूढ़ियों और आडंबरों में जकड़ा हुआ था तब समाज को इस दलदल से बाहर निकालने का महान कार्य किया। डॉ.

राजेंद्र सिंह ने भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को समाज में प्रेषित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसका समाज में प्रचार–प्रसार करना चाहिए तभी वह विचार आगे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होते हैं। डॉ0 जसविदर सिंह ने कहा कि अमरता अमृत कलश में नहीं है, अपितु विचारों की महानता और सामाजिक प्रासंगिकता किसी भी व्यक्ति को अमर बना देती है महात्मा ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी आज समाज को अपने विचारों से रास्ता दिखाते हैं और जब तक उनके विचार इस समाज में शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक क्षेत्र में राह दिखाते रहेंगे। वे हमेशा अमर रहेंगे। महान विभूतियां धन, पद और प्रतिष्ठा से महान नहीं बनी हैं, अपितु उनके विचारों और कार्यों ने उन्हें महान बनाया है। हाल ही में 19वीं सदी के समाज सुधारकों में शामिल सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की "कम उम्र में हुई शादी का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के लिये महाराष्ट्र के राज्यपाल की आलोचना की गई थी। महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की गिनती भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण युगल के रूप में की जाती है। उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में तथा जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में पथप्रदर्शक का कार्य किया।

प्रमुख बिंदु

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले:

वर्ष 1840 में जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी, उस समय 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से कर दिया गया, जो कि उस समय 13 वर्ष के थे। बाद के समय में इस जोड़े ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का भी वकालत की।

ज्योतिराव फुले:

ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, विचारक, जातिप्रथा–विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।

शिक्षा: वर्ष 1841 में फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाईस्कूल (पुणे) में हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की।

विचारधारा: उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी।

फुले थॉमस पाइन की पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था।

प्रमुख प्रकाशन: तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराज भोंसले यंचा (1869); गुलामगिरि (1873), शक्तारायच आसुद (1881)।

महात्मा की उपाधि: 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

समाज सुधार: वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी (सावित्रीबाई) को पढ़ना–लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों के लिये पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहाँ वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे।

वह लैंगिक समानता में वि"वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया।

वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे।

ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिये एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए।

ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रुढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया।

वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है, इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की।

उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया जिसने अंततः डॉ0 बी0आर0 अंबेडकर और महात्मा गांधी को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की।

कई लोगों का मानना है कि यह फुले ही थे जिन्होंने सबसे पहले 'दलित' शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित जनता के चित्रण के लिये किया था, जिन्हें अक्सर 'वर्ण व्यवस्था' से बाहर रखा जाता था।

सावित्रीबाई फुलेः

वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत की।

सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया, जहाँ सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई। उन्होंने वर्ष 1854 में 'काव्या फुले' और वर्ष 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' का प्रकाशन किया। अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया। उन्होंने वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया– दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति–रिवाज़ के बिना विवाह।

उनकी विरासतः

वर्ष 1848 में फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों एवं अति–शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया। 1850 के दशक में फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की– नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और 'द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार'– जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे। वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिये सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिये एक देखभाल केंद्र खोला। बालहत्या प्रतिबंधक गृह (शिशु हत्या निवारण गृह) उनके ही घर में शुरू हुआ। सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ–सीकर्स सोसाइटी) की स्थापना 24 सितंबर, 1873 को ज्योतिराव–सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया जिनमें आर्थिक विवाह, अंतर–जातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं।साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह, वी.एन. सिंह, जनमेजय, "भारत में सामाजिक आन्दोलन रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, दिल्ली, बंगलुरू, गुवाहाटी, कोलकाता संस्करण, 2016 पृष्ठ 221
- मिश्रा, डॉ० प्रीति, हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व" आदित्य पब्लिशर्स बीना, म०प्र०, संस्करण 2001,पृष्ठ 51
- आचार्य, डॉ० हेमलता, "भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 248
- आचार्य डॉ० हेमलता, "भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 258

- आचार्य, डॉ० हेमलता, "भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 258
- https://jodhpurnationaluniversity.com/mahatma-jyotiba-phule-jayanti-his-education-and-social-invaluable-thoughts-in-hindi/amp/
- https://rashtriyashiksha.com/education-philosophy-of-mahatma-jyotiba-phule/